बिहार विधान परिषद

(199वां शीतकालीन सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

1 दिसम्बर, 2021

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

Total Short Notice Question- 5

योजनाओं का लाभ

*7 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला के फतहपुर, खैरवा दर्प, दाउद छपरा, चिकनौटा, सुन्दरपुर आदि गांव को शिवहर नगर पंचायत में मिलाकर शिवहर नगर परिषद् का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर परिषद् में जाने से उक्त सभी गांवों का विकासात्मक कार्य बाधित है और सरकार की किसी भी योजना यथा- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, इंदिरा आवास, आय, वृद्धावस्था पेंशन, सोलर लाइट, जल-नल आदि सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नगर परिषद् द्वारा उक्त गांवों में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक अधिसूचना निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कार्यालय खोलने का विचार

*8 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया नगर निगम, गया के 53 वार्डों में कार्यालय खोलने की योजना पांच वर्ष पहले ही बनाई गई थी, परन्तु इस संबंध में अभीतक कोई पहल नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर निगम क्षेत्र में जिस जगह सफाई कर्मचारी को काम करना होता है, उससे करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर हाजिरी बनाई जाती है, जिस कारण वार्डों में काम शुरू करने में काफी देर होती है और नगर निगम के वार्डों में सफाई का काम भी ढंग से नहीं हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र गया नगर निगम के सभी वार्डों में कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

दण्डात्मक कार्रवाई

*9 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा या संबंधित विभाग के द्वारा Allotment पूरे साल का नहीं रहने के कारण अल्प वेतन धारी आर.टी.पी.एस. कर्मियों का मानदेय भुगतान तीन से चार माह तक लगातार लम्बित रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि सारण, नवादा, भोजपुर एवं आरा सहित पूरे राज्य में इन कर्मियों के मानदेय का भुगतान दशहरा, दीवाली एवं छठ जैसे महापर्व में भी नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि Allotment जिला में आने पर जिला पदाधिकारी के आदेश के बावजूद इन कर्मियों के Account में वेतन की राशि जाने में डेढ़ से दो माह का समय लग जाता है, साथ ही विभाग को गलत सूचना भी दे दी जाती है;

(घ) क्या यह सही है कि ससमय इन कर्मियों को वेतन नहीं मिलने के कारण मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आर.टी.पी.एस. कर्मियों को ससमय भुगतान कराते हुए वेतन के भुगतान में विलम्ब करने

वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

परियोजनाओं को प्रारंभ

*10 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य की पांच बड़ी सीवरेज प्लांट (एसटीपी) एवं सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं का कार्य वर्ष- 2018-19 में ही स्वीकृत होने के बाद भी अबतक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि खगड़िया, बक्सर, मुंगेर, बड़हिया और कहलगांव की इन परियोजनाओं के लिए दो से तीन साल बाद भी एजेंसी चयनित नहीं हो सकी है, इसके अतिरिक्त करीब एक दर्जन एस.टी.पी. परियोजनाओं का काम बारिश, जलजमाव एवं विभिन्न विभागों से एनओसी नहीं मिलने के कारण अटका पड़ा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन परियोजनाओं को शीघ्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

चकबंदी का काम

*11 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष- 2006 में कोर्ट के आदेश पर रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और गोपालगंज में चकबंदी का काम शुरू हुआ था, वह 15 वर्ष बाद भी धीमी गति के कारण पूरा नहीं हो सका है;

(ख) क्या यह सही है कि मानवबल की कमी इसका बड़ा कारण है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार ने पुरानी चकबंदी के कागज का भी कम्प्यूटरीकरण करने का फैसला किया गया है, लेकिन स्थिति यह है कि पुरानी चकबंदी कई मौजों में सिर्फ कागज पर ही है, जमीन पर दखल बहुत कम हो पाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में चकबंदी का काम शीघ्र पूरा करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो

क्यों?